photo

रू0 500/– स्टाम्प पृथक–पृथक प्रारूप–8

(अनुसूची–3–11(i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

बंध–पत्र

(सम्यक रूप से स्टांपित किया जावे एवं जो लागू न हो उसे काट दें)

1– मैं,..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी.. मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र....................में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

i) सीट लिविंग बॉण्ड–

अ मैं चिकित्सा/दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी।

ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीसमा के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित शासकीय चिकित्सा/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि रू0 30,00,000/– (रू0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूँ/देती हूँ अथवा निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित संस्था में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा।

ii) ग्रामीण सेवा बॉण्ड–

अ मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।

ब विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर **एक वर्ष** शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रू0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) रू0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती /देता हूँ ।

स अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता /देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

अथवा

विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विदयार्थी योजना/मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/ देती हूँ । निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

- **<u>यह कि अपग्रेड न होने की स्थिति में पृथक-पृथक सीट लिविंग बंध-पत्र (सभी वर्गो को) (रु. 30 लाख का 0.5 प्रतिशत) रु. 15000/- के स्टाम्प ड्यूटी के साथ एवं ग्रामीण सेवा बंधपत्र (अनारक्षित वर्ग हेतु) (रु. 10 लाख का 0.5 प्रतिशत) रु. 5000/- एवं रू0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) (रु. 05 लाख का 0.5 प्रतिशत) रू. 2500/- के स्टाम्पित शपथ पत्र पर सम्यक रूप से निष्पादित कर महाविद्यालय में जमा करूंगा/करूंगी।</u>**

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1..

2..